


तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुवे
	<p>18.08.2022</p> <p>पत्रावली पेशी में ली गई। वकूलाए फरीकेन उपस्थित। अप्रार्थी सं. 04 द्वारा जरिये अधिवक्ता जवाब पेश किया गया जिसकी एक प्रति वकील प्रार्थी को दिलाई गई। वकील अप्रार्थी सं. 02 द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर हस्तगत प्रकरण में क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर बहस हेतु निवेदन किया गया। अप्रार्थी सं. 02 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रति वकील प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 4 को दिलाई गई। वकील प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 04 द्वारा बहस हेतु समय चाहा गया। समय दिया जाकर पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 26.08.2022 को पेश हो।</p> <p>26.08.2022</p> <p>वकूलाए फरीकेन उपस्थित। बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण मनुबाला वगैरह द्वारा प्रकरण अन्तर्गत धारा 3G(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत पेश किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रश्नगत प्रकरण प्रस्तावित भारतमाला परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 754-K में अवाप्तशुदा भूमि चक 16 एस.एस. डब्ल्यू. तहसील व जिला हनुमानगढ़ के गांव कोहला व रामसरा नारायण के पास बालाजी विहार कॉलोनी में अप्रार्थी सं. 3 तुलसीराम व अप्रार्थी सं. 4 नंदराम पुत्र चेलाराम के नाम से संयुक्त खाता सं. 14/15 की पत्थर नं. 129/294(44) किला नं. 25,/0.228 व पत्थर नं. 130/294(45) किला नं. 20, 21 कुल 0.759 हैक्ट. कृषि भूमि में से अवाप्तशुदा आवासीय भूखण्डों/प्लॉटों का अवॉर्ड प्रार्थीगण के नाम से बनवाया जाकर उक्त संपरिवर्तित आवासीय भूमि का मुआवजा सड़क सहित प्लॉटों की औसतन मुआवजा राशि के हिसाब से अप्रार्थीगण सं. 01(भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ़) से प्रार्थीगण को दिलवाये जाने के सम्बन्ध में। अप्रार्थी सं. 02 द्वारा प्रस्तुत जवाब व दौराने बहस कथनानुसार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3H(3) के प्रावधानों के अनुसार अवाप्तशुदा भूमि की मुआवजा राशि का वितरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा हकदार व्यक्तियों को भुगतान किया जावेगा। यदि उक्त रकम वितरण में किसी प्रकार का विवाद होने की दशा में अधिनियम की धारा 3H(4) के तहत प्रधान सिविल न्यायालय को उक्त विवाद के विनिश्चय के लिए निर्देशित कर सकता है— "यदि उक्त रकम या किसी भाग के प्रभाजन के बारे में या किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसको उक्त रकम का या उसका कोई भाग संदेय है, कोई विवाद उत्पन्न होता है तो सक्षम प्राधिकारी उस विवाद को आरम्भिक अधिकारिता वाले प्रधान सिविल न्यायालय को, जिसकी अधिकारिता की सीमाओं के भीतर वह भूमि स्थित है, विनिश्चय के लिए निर्देशित करेगा।" इसलिए अवाप्तशुदा भूमि के मुआवजे के वितरण का अधिकार सक्षम प्राधिकारी को है एवं मुआवजा राशि वितरण में विवाद होने की दशा में सुनवाई का अधिकार केवल प्रधान सिविल न्यायालय को ही है।</p> <p>उक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3G(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत दर्ज रजिस्टर है जिसमें इस न्यायालय को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवधारित रकम(मुआवजा राशि) किसी पक्षकार को स्वीकार्य नहीं है तो उक्त रकम/मुआवजे के रूप में देय राशि का निर्धारण के सम्बन्ध में किसी</p>	<p>Handwritten signatures and initials in blue ink.</p>

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुवे
	<p>पक्षकार के आवेदन पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार है। चूंकि उक्त प्रार्थना पत्र की विषयवस्तु अवॉर्ड राशि या मुआवजे के रूप में देय राशि का निर्धारण का न होकर एक से ज्यादा पक्षकारों में अवॉर्ड राशि वितरण से सम्बन्धित है। इसलिए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3H(3) के प्रावधानों के अनुसार भूमि की मुआवजा राशि का वितरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा हकदार व्यक्तियों को भुगतान किये जाने का प्रावधान है व उक्त रकम के वितरण में किसी प्रकार का विवाद होने की दशा में धारा 3H(4) के तहत विवाद के विनिश्चय के लिये सक्षम प्राधिकारी मुआवजा राशि वितरण का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रधान सिविल न्यायालय को प्रेषित कर सकता है। इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होने पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। सक्षम प्राधिकारी(भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत अवाप्तशुदा भूमि की अवॉर्ड राशि के सम्बन्ध में सभी पक्षों की सुनवाई कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर शीघ्र मुआवजा राशि वितरित किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">  जिला कलेक्टर एवं आर्बिट्रेटर हनुमानगढ़ </p>	